संख्या-148/2024/I/806500/2024-71-1002(002)/23/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ:दिनांक 27 नवम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एंव संयत्र मद में उपकरणों की अनुमोदित सूची में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2024-25/483, दिनांक 09.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-111/2024/I/697486/2024-71-1002(002)/23/2022 दिनांक 22.07.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एंव संयत्र मद में अनुमोदित उपकरणों की सूची में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु मानक मद-26 मशीने और सज्जा/उपकरण एंव संयत्र मद में उक्त शासनादेश दिनांक 22.07.2024 द्वारा अनुमोदित सूची (संलग्न तालिका-1 के अनुसार) के स्थान पर संलग्न तालिका-2 के अनुसार उपकरणों की सूची अनुमोदित की जाती है।

3- शासनादेश संख्या-111/2024/I/697486/2024-71-1002(002)/23/2022 दिनांक 22.07.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या/ तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

संलग्नक-

तालिका-1

(शासनादेश दिनांक 22.07.2024 द्वारा अनुमोदित उपकरण)

क्र0	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य (5 वर्ष की वॉरेंटी की साथ)	कुल अनुमानित मूल्य (5 वर्ष की वॉरेंटी की साथ)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6
1	**आर्थोपेडिक्स**	Handwire battery Drill machine (GSR-120 Cordless)- 1 Piece	1 Piece	15000	150000
2		Fully Automatic vertical high pressure Autoclave-98 Liter (16x24) cm-01 Piece	10 Piece	15000	150000
3	**स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग**	Advance Ultrasonic Energy	1	24,00,000	24,00,000

तालिका-2

(संशोधित उपकरण)

क्र0	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	क्रय की आवश्यक मात्रा	प्रति नग अनुमानित मूल्य (5 वर्ष की वॉरेंटी की साथ)	कुल अनुमानित मूल्य (5 वर्ष की वॉरेंटी की साथ)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6
1	**आर्थोपेडिक्स**	Handwire battery Drill machine (GSR-120 Cordless)- 1 Piece	10 Piece	15000	150000
2		Fully Automatic vertical high pressure Autoclave-98 Liter (16x24) cm-01 Piece	1 Piece	150000	150000
3	**स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग**	Advance Bipolar with Ultrasonic Energy Genrator	1	24,00,000	24,00,000

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।